भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 79

दिनांक 21 **जुलाई**, 2022

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

†*79. **श्री रमेश बिन्द**:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्राकृतिक गैस आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह आपूर्ति राज्यों की मांग के अनुसार होती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति की कोई अतिरिक्त मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या सरकार को बिजली उत्पादन करने वाली कंम नियों से भी प्राकृतिक गैस आपूर्ति हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का विचार देश में प्राकृतिक गैस-आधारित किन्हीं नए विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री हरदीप सिंह पुरी**)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'प्राकृतिक गैस की आपूर्ति' के संबंध में संसद सदस्य श्री रमेश बिन्द और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा दिनांक 21.07.2022 **को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं**. 79 **के भाग** (**क**) **से** (**ड**.) **के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

देश में प्राकृतिक गैस की कुल खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2014-15 में 128.6 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) से बढ़कर यह वित्त वर्ष 2021-22 में 163.06 एमएमएससीएमडी हो गई है। प्राकृतिक गैस की खपत मुख्यत: नगर गैस वितरण (सीजीडी), उर्वरक, विद्युत तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। प्राकृतिक गैस को या तो घरेलू स्रोतों से प्राप्त किया जाता है अथवा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के तौर पर इसका आयात किया जाता है। घरेलू गैस का मूल्य निर्धारण सरकारी दिशा-निर्देशों या प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों के अनुसार किया जाता है जबकि, पुन:गैसीकृत एलएनजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रेत्ता और विक्रेत्ता के बीच पारस्परिक रूप से वाणिज्यिक रूप से तय किए जाते हैं। देश में घरेलू प्रशासित मूल्य वाली गैस के उत्पादन में गिरावट के कारण, सरकार की नीति के अनुसार इसका आबंटन किया जा रहा है, जिसमें सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी (परिवहन) तथा पीएनजी (घरेलू) खंड को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसके बाद उर्वरक, एलपीजी और विद्युत क्षेत्र आता है। देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति/खपत का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

असम, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से गैस के अतिरिक्त आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए क्षेत्र/उद्योग को किया जाने वाला आबंटन मौजूदा नीति और सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में किया जाता है।

प्राकृतिक गैस आधारित कोई नया विद्युत स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****

अनुलग्नक

'प्राकृतिक गैस की आपूर्ति' के संबंध में संसद सदस्य श्री रमेश बिन्द और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा दिनांक 21.07.2022 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 79 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति/उपभोग

(आंकड़े एमएमएससीएमडी में)

राज्य	सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)	विद्युत	उर्वरक
आंध्र प्रदेश	0.093	0.032	1.004	1.45
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु	0.001			
असम	0.0003	0.035	2.725	0.83
बिहार	0.077	0.00003		
चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	0.114	0.009		
दादरा और नगर हवेली	0.612	0.002		
दमन और दीव	0.012	0.001		
दिल्ली	4.401	0.365	2.716	
गोवा	0.007			1.11
गुजरात	3.268	1.281	2.064	7.08
गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव	0.018			
हरियाणा	1.306	0.034	0.01	0.70
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	0.005			
हरियाणा और पंजाब	0.024			
हिमाचल प्रदेश	0.001	0.0002		
झारखंड	0.021	0.0003		
कर्नाटक	0.089	0.034		0.86
केरल	0.065	0.002		
केरल और पुदुच्चेरी	0.002			
मध्य प्रदेश	0.361	0.046		4.06
मध्य प्रदेश और राजस्थान	0.016			
महाराष्ट्र	3.524	0.577	3.405	4.63
महाराष्ट्र और गुजरात	0.028			
ओ डशा	0.017			
पुदुच्चेरी (यूटी) और तमिलनाडु	0.0002		0.168	
पंजाब	0.205	0.008		2.04
राजस्थान	0.264	0.002	1.102	6.41
तमिलनाडु	0.017		1.310	1.68
तेलंगाना	0.085	0.025		1.40
त्रिपुरा	0.087	0.048	4.446	
उत्तर प्रदेश	2.903	0.290	0.357	13.83
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	0.013			
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	0.009			
उत्तराखंड	0.068	0.019		
पि चिम बंगाल	0.017			2.40
कुल योग	**17.729**	**2.811**	**19.306**	**48.47**

टिप्पणी - औसत खपत के आंकड़े अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए हैं।

फ र्टलाइजर क्षेत्र के लिए परिवर्तन हेतु विचार किया गया जीसीवी 9389 केसीएएल/एससीएम है।

फ र्टलाइजर क्षेत्र के तहत बीवीएफसीएल और एसपीआईसी हेतु वित्त वर्ष 2021-22 के औसत खपत को उक्त अवधि के लिए विचार किया गया है।